ANVESHA-A Multidisciplinary E-Journal for all Researches Volume 1, Law Special Edition, June 2022
Bi annual, Bi lingual, Peer reviewed, Referred Journal
Available online on: www.anveshaejournal.com e-ISSN 2582-6719
DOI - 10.55183/amjr.2022.vo1.lsi.013

मानवाधिकार और भारत का संविधान तथा न्यायिक संरक्षण

अमर दीप श्रीवास्तव. प्रवक्ता नागरिकशास्त्र .
किसान इण्टर कालेज. सोंख खेड़ा. मथुरा
ई–मेल. amar7619@gmail.com

शोध पत्र सार

मानवाधिकार मूल रूप से वे अधिकार हैं, जो व्यक्ति को मनुष्य होने के कारण प्राप्त होते हैं। ये अधिकार स्थानीय निकायों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी अधिकार के रूप में संरक्षित है। मानव अधिकार मापदण्डों का एक स्वरूप है जो मानव व्यवहार के कुछ मानकों को इंगित करता है और व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के प्रदान किया जाता है। हाँलांकि इन अधिकारों को कानून और संविधान द्वारा संरक्षित किया जाता है। लेकिन फिर भी संवैधानिक संस्थाओं और सुरक्षा व्यवस्था भार वाले बलों और समाज में मौजूद असामाजिक तत्वों के द्वारा इनमें से कई अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन अधिकारों का हक मिल सके इसके लिए आवश्यक है इन अधिकारों का व्यापक जानकारी का होना। हर व्यक्ति हो अपने अधिकारों की जानकारी होने के साथ ही कानूनी संरक्षण और संवैधानिक संरक्षण की भी जानकारी होना आवश्यक हैं।

मुख्य शब्दः संविधान सभा, मौलिक अधिकार, अस्पृश्यता, वंचितों के अधिकार, वैश्वीकरण, बहुआयामी संस्था।

प्रस्तावना

मानवाधिकार मूल रूप से वे अधिकार हैं, जो व्यक्ति को मनुष्य होने के कारण प्राप्त होते हैं। ये अधिकार स्थानीय निकायों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी अधिकार के रूप में संरक्षित है। मानव अधिकार मापदण्डों का एक स्वरूप है जो मानव व्यवहार के कुछ मानकों को इंगित करता है और व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के प्रदान किया जाता है। हाँलांकि इन अधिकारों को कानून और संविधान द्वारा संरक्षित किया जाता है। लेकिन फिर भी संवैधानिक संस्थाओं और सुरक्षा व्यवस्था भार वाले बलों और समाज में मौजूद असामाजिक तत्वों के द्वारा इनमें से कई अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन अधिकारों का हक मिल सके इसके लिए आवश्यक है इन अधिकारों का व्यापक जानकारी का होना। हर व्यक्ति हो अपने अधिकारों की जानकारी होने के साथ ही कानूनी संरक्षण और संवैधानिक संरक्षण की भी जानकारी होना आवश्यक हैं। मानव अधिकारों से अभिप्राय श्इपसस वि तपहीजेश एवं मौलिक अधिकारों व स्वतंत्रता से है जिसके सभी मानव प्राणी हकदार है अर्थात उनमें नागरिक एंव राजनैतिक अधिकार सम्मिलित है जैसे कि जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्र रहने का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के साथ ही साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में परम्पराओं और प्रथाओं के अनुसार भाग लेने का अधिकार, भोजन, पोषण एंव रोजगार के साथ-साथ समान शिक्षा का अधिकार भी शामिल है।

मानव अधिकार मौलिक रूप से वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को इंसान होने के कारण मिलते हैं। ये ग्राम पंचायतों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा कानूनी अधिकार के रूप में संरक्षित हैं। जो हर व्यक्ति को उसके लिंग, जाति, पंथ, धर्म, राष्ट्र, स्थान या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना दिए जाते है। ये सार्वभौमिक है इसलिए यह हर जगह और हर समय लागू होते है।

मानव संरक्षण अधिनियम १९९३ के अनुसार- ”मानव अधिकारों का मतलब संविधान द्वारा प्रत्याभूत तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में निहित और न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा संबंधित अधिकार है।“

अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग- अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना १६ थ्म्ठ १९४७ को आर्थिक सामाजिक परिषद् के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया। जिसमें १८ सदस्य थे। इसे अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। विशेष परिस्थितियों में हम अपने अधिकारों के लिए मानव अधिकार आयोग से शिकायत कर सकते हैं। मानव अधिकार द्वारा तैयार सार्वभौमिक घोषणा के प्रारूप को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने १० क्म्ब् १९४८ को स्वीकार किया गया। इसी कारण इस दिवस को अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस घोषणा पत्र में कुल ३० अनुच्छेद है।

भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना १२ व्ब्ज्ए १९९३ को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ के तहत की गई। यह आयोग देश में मानवाधिकारों की प्रहरी है।

भारत का संविधान और मानवाधिकार - विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारतीय संविधान सर्वाधिक अधिकार केन्द्रित दस्तावेज है जिस समय संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार के वैश्विक घोषणा पत्र (१९४८) को स्वीकार किया गया, ठीक उसी समय भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों एवं नीति-निदेशक तत्वों में मानवाधिकार की भावना परिलक्षित होती है। व्यक्ति अंशतः या पूर्णतः यह अपेक्षा करता है कि उसके सर्वांगीण विकास के लिए उसे अनुकूल वातावरण मिले। संविधान में वर्णित मूल अधिकार मानव विकास के लिए आधारभूत हैं। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त हैं जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हैं।

ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान लोगों के नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों के उल्लंघन के विरूद्ध भारतीय संघर्ष के सिद्धांतो पर ही भारतीय संविधान आधारित है अतः आजादी के पश्चात् संविधान निर्माताओं ने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए जो संविधान के भाग तीन में वर्णित है। प्रत्येक भारतीय नागरिक के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए जो मौलिक मानवीय स्वतंत्राए अनिवार्य है उन्हें ही इन मौलिक अधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया है। धर्म, वंश, जाति, लिंग व जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव न करते हुए ये मौलिक अधिकार समस्त भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कुछ प्रतिबंधों के अलावा यह अधिकार विधि द्वारा प्र्वतनीय है। इंग्लैंड एंव अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स तथा फ्रांस के राइट्स ऑफ मैन के घोषणापत्र ही मुख्यतः भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के मूल स्त्रोत रहे हैं।

भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, मानवाधिकार एवं संविधान सभा

भारतीय संविधान में सुनिश्चित मौलिक मानवाधिकारों का विकास इंग्लैंड के बिल ऑफ राइट्स (१६८९), अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स (१७८९) से प्रेरित है। सन् १९१९ के रौलट एक्ट जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, इस कानून ने ब्रिटिश सरकार को विस्तृत अधिकार प्रदान किये। अधिकारियों को अनगिनत गिरफ्तारियाँ, कैद करने और बिना वांरट के तलाशी एवं जब्ती इत्यादि का अधिकार मिल गया। अधिकारियों को मिले वृहद अधिकार के परिणामस्वरूप मानवाधिकारों का अत्यधिक उल्लंघन हुआ। फलस्वरूप लोगो मे व्यापक आक्रोश प्रस्फुटित हुआ। और जनाधिकार सुनिश्चित करने के लिए सरकार के वृहद अधिकारों में कटौती करने की मांग होने लगी। इससे पूर्व वर्नाक्यूलर

प्रेस ऐक्ट १८७८ तथा लार्ड कर्जन के शासनकाल में भी मानवाधिकारों का व्यापक उल्लंघन हुआ। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है स्वतंत्रता संग्राम के नेता सिर्फ आजादी के लिए ही नही, बल्कि भारतीय जनमानस के मौलिक मानवाधिकारों के लिए भी लड़ रहे थे। १५ अगस्त १९४७ को आजादी मिलने के पश्चात संविधान सभा ने भारत के लिए एक संविधान बनाने का दायित्व लिया। संविधान सभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित १० दिसम्बर १९४८ को मानवाधिकार के लिए पारित घोषणापत्र को स्वीकार किया।
भारतीय संविधान अपने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यह मौलिक अधिकार संविधान के भाग तीन, अनुच्छेद १२-३५ में वर्णित है। सरदार बल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता वाली समिति (मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति) ने इसे अंतिम रूप प्रदान किया।

मौलिक अधिकार की प्रकृति

मौलिक अधिकारों को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन इन्हें मौलिक इसलिए कहा गया है कि ये साधारण कानून से ऊपर है। इन्हें सिर्फ संविधान संशोधन के द्वारा ही बदला जा सकता है। ये अधिकार व्यक्ति के आत्म-सम्मान तथा उसके कल्याण को प्रोत्साहन देते है और मानव व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण है अनुच्छेद ३२ जो संविधान के भाग तीन में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत वर्णित है, के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों को संरक्षण प्रदान करती है। मौलिक अधिकार असीम नहीं है, इन्हें भी सीमाबद्ध किया जा सकता है। कुछ प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन इसके प्रतिबंध की तार्किकता का निर्णय न्यायालय ही कर सकता है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद २० और २१ को छोड़कर मौलिक अधिकारों को निलम्बित किया जा सकता है।

भारत में मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए सुनिश्चित है अन्य कानून की तुलना में इन नागरिक अधिकारों को वर्चस्व प्राप्त है। व्यक्तिगत अधिकार जैसे कि विधि के समक्ष समानता, वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों के संरक्षण हेतु संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अधिकतर उदारवादी प्रजातांत्रिक देशों में प्राप्त हैं, इन सबको भारतीय संविधान में समावेशित किया गया है। भारत में इन मौलिक अधिकारों का लक्ष्य सामाजिक कुरीतियों को हतोत्साहित करना भी है। अस्पृश्यता, धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव तथा बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। यह अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को भी संरक्षित करता है।
भारतीय संविधान में छः प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन वर्तमान संविधान में है। संविधान के अनुच्छेद १४ और १८ में समानता के अधिकार का वर्णन है। यह दूसरे अधिकार और स्वतंत्रता को पूरा आधार प्रदान करता है। अनुच्छेद १४ भारत को प्रत्येक नागरिक को विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद १५ में वर्णित है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग, भाषा, जन्मस्थान आदि के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं किया जायेगा। हालांकि महिलाओं, बच्चों, सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिये राज्य विशेष करता है कि रोजगार के अवसर के मामले में राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी है- यदि किसी पद के लिये उस क्षेत्र और भाषा विशेष की जानकारी होना आवश्यक है तो उस क्षेत्र के निवासी ही उस पद के उम्मीदवार होंगे। शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उचित प्रतिनिधित्व के लिये राज्य

ANVESHA-A Multidisciplinary E-Journal for all Researches Volume 1, Law Special Edition, June 2022
Bi annual, Bi lingual, Peer reviewed, Referred Journal
Available online on: www.anveshaejournal.com e-ISSN 2582-6719
DOI - 10.55183/amjr.2022.vo1.lsi.013

रोजगार में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। (अनुच्छेद १६(४)।

अनुच्छेद-१७ अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद १८ के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन सैन्य एवं शैक्षणिक उपाधियां ग्रहण की जा सकती हैं। भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति उपाधि के रूप में इसका उपयोग नही कर सकते। अनुच्छेद १६,२० तथा २१ स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान करते हैं। वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, संघ बनाने अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार, कोई भी पेशा, व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ये सभी स्वतंत्रता के अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। भारत की संप्रभुता व अखंडता, समाज में नैतिकता एवं सामाजिक व्यवस्था कायम रखने के लिए इस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी समाहित है, को भारत की संप्रभुता और अखंडता राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से संबंध आदि के हित में सीमित किया जा सकता है।

अनुच्छेद २० और २१ के अन्तर्गत संविधान जीने का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद २० के अनुसार किसी भी व्यक्ति को दी गयी। सजा उस समय विधि द्वारा निर्धारित सजा से अधिक नही हों सकती है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती।

अनुच्छेद २१ के अनुसार विधि सम्मत तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से किसी भी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का हनन नहीं किया सकता है। इसलिये व्यक्तिगत स्वतंत्रता तभी अवरोधित किया जा सकता है। जब उस व्यक्ति ने स्पष्टतः अपराध किया हो।

इस अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। इसलिये आत्महत्या करना या उसकी कोशिश करना एक अपराध है। सामान्य परिस्थितियों में गिरफ्तार हुये व्यक्ति के अधिकार जीने के अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वर्णित हैं। किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा किये गये अपराध की सूचना दिये बिना उसे गिरफ्तार नही किया जा सकता है। गिरफ्तार हुये व्यक्ति को अपने बचाव के लिये अपने इच्छानुरूप वकील रखने का अधिकार तथा चौबीस घंटे के भीतर किसी कार्यपालक के सामने पेश करना अनिवार्य है। (अनुच्छेद २२)

उल्लेखनीय है कि ८६ वे, संविधान संशोधन (सन् २००२) के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद २१(ए) के अन्तर्गत मौलिक अधिकार का रूप प्रदान किया गया। इसके अनुसार ६-१४ वर्ष की आयु वाले बच्चों को राज्य द्वारा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने की व्यवस्था की गयी है।

अनुच्छेद २३ और २४ में शोषण के विरूद्ध अधिकार का वर्णन है। इसमें दो तरह के प्रावधान है। पहला, मानव व्यापार एवं बलात् श्रम से संबंधित है जबकि दूसरा, १४ वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों एवं खानों में नियोजित किये जाने को प्रतिबंधित करता है।

अनुच्छेद २५, २६, २७ और २८ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं। भारत राज्य के धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को बनाये रखना ही इस अधिकार का उद्देश्य है। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है तथा किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता नहीं दी जायेगी। हर एक व्यक्ति किसी भी धार्मिक प्रथा को मानने के लिये स्वतंत्र हैं। हालांकि राज्य कुछ धार्मिक प्रथाओं पर सामाजिक व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु प्रतिबंध लगा सकता है। कुछ प्रावधानों के अन्तर्गत धार्मिक समुदाय चैरिटेबल संस्थायें बना सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को धर्म के प्रचार के नाम किये गये खर्च की राशि पर कर देने को बाध्य नहीं किया जा सकता।

ANVESHA-A Multidisciplinary E-Journal for all Researches Volume 1, Law Special Edition, June 2022
Bi annual, Bi lingual, Peer reviewed, Referred Journal
Available online on: www.anveshaejournal.com e-ISSN 2582-6719
DOI - 10.55183/amjr.2022.vo1.lsi.013

अनुच्छेद २६ और ३० में शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार के संरक्षण के लिये विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद २६ भारत के सभी नागरिकों पर लागू है। जबकि अनुच्छेद ३० अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित है। कोई भी धार्मिक या भाषाई समुदाय जिसकी अपनी भाषा और लिपि है उसे उनको संरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। अपनी संस्कृति के संरक्षित एवं विकास के लिये सभी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय अपना शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकता है। कुप्रशासन की स्थिति में राज्य किसी भी संस्था में हस्तक्षेप तो कर सकता है लेकिन अनुदान देते समय किसी संस्था के साथ भेदभाव नहीं कर सकता।

अनुच्छेद ३२ संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंद्ध है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में हर एक नागरिक को इस अनुच्छेद के अनुसार यह अधिकार है कि वह इसके संरक्षण के लिये न्यायालय के समक्ष अनुरोध कर सकता है। इस सन्दर्भ में न्यायालय विभिन्न प्रकार के रिट जारी कर सकता है। ये रिट है-बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा। आपातकाल में इसे खारिज भी किया जा सकता है।

अनुच्छेद १६ और ३१ में संपत्ति के अधिकार का प्रावधान था अनुच्छेद १६(च) के अनुसार हर एक नागरिक को संपत्ति अर्जित करने का उसे रखने का तथा उसे बेचने का अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया। तत्पश्चात् संविधान में ३००(ए) के तहत यह व्यवस्था की गयी कि बिना विधि सम्मत कानून के किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा। यदि विधायिका कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे किसी नागरिक को संपत्ति का नुकसान होता है तो उस स्थिति में राज्य मुआवजा देने को बाध्य नही हैं। इस स्थिति में अनुच्छेद ३२ के अन्तर्गत व्यक्ति न्यायालय में याचिका दायर नहीं कर सकता।

वस्तुतः अधिकार वह स्वतंत्रता है जो व्यक्ति और समुदाय के हित में होने चाहिये। भारतीय संविधान के अन्तर्गत सुनिश्चित मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि वे असीम है और संवैधानिक संशोधन के तहत बदले नहीं जा सकते।

भारत में मानव अधिकार संबंधी परिचर्चा

भारत के सन्दर्भ में मानव अधिकार परिचर्चा के अन्तर्गत तीन मुख्य चर्चा के विषय हैं-

१- नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार

२-वंचितो के अधिकार (जैसे महिला, दलित, और अदिवासी) जो समाज के हासिये पर हैं।

३- आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार।

नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार

राज्य के बढते असंतोष की वजह से साठ और सत्तर का दशक आन्दोलनो और राजनीतिक उथल-पुथल से भरा हुआ था। इसी समय कांग्रेस पार्टी कांग्रेस(ओ), जिसका नेतृत्व पुराने नेताओं द्वारा तथा कांग्रेस (आर), इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नामक दो गुटों में बँट गयी। लेकिन कालान्तर में कांग्रेस (आर) टी मुख्य कांग्रेस पार्टी रही और इंदिरा गाँधी इसकी मुख्य नेत्री थी। आने वाले वर्ष भी राजनीतिक उथल-पुथल से भरे रहे। इस दिशा में गुजरात का नवनिर्माण आन्दोलन (१६७४) और महँगाई, बेरोजगारी तथा कांग्रेस शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाप जयप्रकाश नारायण का आन्दोलन इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन आन्दोलनों से अपने शासन के प्रति खतरा को देखते हुये इंदिरा गाँधी सरकार ने देश में आंतरिक अशांति को मुद्दा बनाते हुये आपातकाल (१६७५) की घोषणा कर दी। इस दौरान अधिकतर नागरिक और राजनीतिक अधिकार निलंबित कर दिये गये। विपक्ष और उनके कार्यकर्ताओं तथा सरकार के आलोचकों को कारागार में डाल दिया गया। यह एक ऐसा समय था जब संविधान द्वारा सुनिश्चित सभी नागरिक और राजनीतिक

ANVESHA-A Multidisciplinary E-Journal for all Researches Volume 1, Law Special Edition, June 2022
Bi annual, Bi lingual, Peer reviewed, Referred Journal
Available online on: www.anveshaejournal.com e-ISSN 2582-6719
DOI - 10.55183/amjr.2022.vo1.lsi.013

अधिकारों का राज्य द्वारा अतिक्रमण किया गया। यह अपातकाल भारतीय प्रजातांत्रिक इतिहास में एक काले धब्बे के समान है। मनमाने तरीके से बंदी बनाये जाने और पुलिस द्वारा बर्बरता कार्यवाही करने इत्यादि से भारतीय नागरिकों के मानव अधिकारों का जमकर उल्लंघन हुआ।

आगामी २० वर्षों में नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार आन्दोलन और अधिक स्पष्ट और व्यापक हो गया। शहरी मध्यवर्गीय उदारवादी बुद्धिजीवी वर्ग से परे विभिन्न सामाजिक राजनीतिक आधार लेकर उसका विकास हुआ। अधिकतर नागरिकों के साथ हिंसक व्यवहार तथा उनके मौलिक मानवाधिकार के बारम्बार हनन होने से १९८० के दशक में सरकार से यह वह समय था जब विभिन्न प्रकार के विद्रोह में वृद्धि हुयी तथा देश के कई भागों में अलग अलग राज्य निर्माण के लिये आन्दोलन होने लगे। यह वह समय था जब विभिन्न प्रकार से मानवधिकार संगठन अस्तित्व में आये। इन्दिरा गाँधी की हत्या तथा उसके बाद १९८४ के सिक्ख दंगो ने राज्य द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगा दिया।

हाल ही में असम तथा महाराष्ट्र में हिन्दी भाषी क्षेत्र के लोगों के साथ मानवाधिकारों के हनन के विकृत स्वरूप को प्रस्तुत करता है जिसके लिये राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। इसलिये कभी-कभी भारत में नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार असहज स्थिति में होते हैं। यद्यपि कि इसमें कोई शक नहीं है कि संविधान हर एक नागरिक के मौलिक अधिकारों के सुरक्षा का प्रावधान करता है मगर वास्तविक दृश्य कुछ और दर्शाता है ।

वंचितों के अधिकार

नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार अधिकांशतः व्यक्तिगत अधिकारों पर केंद्रित है लेकिन ७० के दशक के मध्य काल में भारत में मानवाधिकार के एक नये रूप के विकास पर जोर दिया गया जो वंचित वर्ग या हासिये पर रहने वाले समूहों जैसे - महिला, दलित, आदिवासी आदि के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के लिये सामूहिक अधिकार की धारणा पर आधारित था। १९८० के दशक में महिला आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ। महिलाओं से संबधित आयोग ने १९७४ में एक रिपोर्ट पेश की जिसमें हर क्षेत्र में महिलाओं के पिछड़े होने का वर्णन था। लेकि न वर्तमान में संसद के द्वारा पारित कई कानूनों एवं नारीवादी आन्दोलनों के कारण समाज में महिलाओं की स्थिति में नयी जागृति आयी तथा महिलायें लोक-चर्चा की विषय बन गयी। वर्तमान में महिला संगठनों ने महिलाओं के साथ होने वाले घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, बलात्कार, कैद-बदलसूकी, महिला अवैध व्यापार, शिक्षण संस्थानों एवं घरेलू नौकरानी के रूप में काम करने वाली महिलाओं के साथ यौन शोषण आदि के खिलाफ जोरदार आवाज उठायी। वर्तमान में महिलाओं के अधिकार हेतु राजनीतिक सहभागिता के बढते प्रचार-प्रसार के कारण इसने एक आन्दोलन का रूप ले लिया। इन महिला आन्दोलनों की वजह से स्थानीय स्वशासन में ७३ वें एवं ७४ वें संविधान संशोधन अधिनियम १९९२ के द्वारा महिलाओं को ३३ प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी। समाज के कमजोर वर्गों जैसे - दलित एवं आदिवासियों को उनके अधिकार दिलाने के लिये प्रयास जारी है। संविधान संशोधनों के द्वारा इन वर्गों को नौकरियों में आरक्षण प्रदान करके इनको सशक्त बनाया गया।

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार-विकास के मुख्य मसौदो में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार का शामिल होना, आम लोगों के सामाजिक विकास तथा गरीबी उन्मुलन के लिये संस्थागत एवं वित्तीय सहायता संबंधी संगठनों के उदय से संबंधित गैर-सरकारी संगठनो (एन.जी.ओ) के नाम से जाने जाते है। शुरूआती दौर में ऐसे अधिकांश एन.जी.ओ. कल्याणकारी राज्य के सहयोगी के रूप में कल्याणकारी अवधारणा के साथ विकसित हुये।

Available online on: www.anveshaejournal.com e-ISSN 2582-6719
DOI - 10.55183/amjr.2022.vo1.lsi.013

मौलिक अधिकारों के विकास में सक्रिय, न्यायापालिका, की भूमिका ने आर्थिक और सामाजिक अधिकारों पर बल दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद २१ जो जीने के अधिकार से संबंधित है, का विस्तार हुआ। जीने के अधिकार का तात्पर्य है गरिमामय जीवन, जिसके अन्तर्गत जीविकोपार्जन के अधिकार, शिक्षा, के अधिकार तथा स्वास्थय के अधिकार आते हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

मानवाधिकार अधिनियम १९९३ के विधिक निर्णय के अन्तर्गत १२ ब्ब्ए १९९३ को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुयी। यह आयोग मानवाधिकार की सुरक्षा हेतु सकारात्मक कदम उठाये हैं। इस आयोग ने देश में मानवाधिकार की सुरक्षा तथा उसको बढावा देने का कार्य किया है। आयोग सामान्यतः मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले की प्रायः स्वंय जाँच करती हैं या नागरिक संगठन मीडिया, संबंद्ध एवं जागरूक नागरिक या सिद्धहस्त सलाहकार के द्वारा मामले को लाने पर गंभीरता से लेती है। यह सामाज के सभी वर्गों विशेषतः वंचित एवं हासिये पर रहने वाले वर्गों के मानवाधिकार के सुरक्षा से संबंधित मामले पर अपनी दृष्टि केन्द्रित करती है। इन मामलों में जनजागरूकता के बढते प्रभाव को आयोग की उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। यह जागरूकता पिछले कुछ वर्षों में आयोग के पास मानवाधिकार के हनन से संबंधित मामलों की वृद्धि के रूप में परिलक्षित होती है। आयोग इन मामलों को निम्न भांगों बांटती हैं- कारावास के दौरान मृत्यु, पुलिसिया बर्बरता, छद्म मुठभेड़, महिला एवं बच्चों से संबंधित मामलें दलित अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसक कार्यवाही के मामले, बंधुआ मजदूरी, सशस्त्र बल/अर्द्ध सैनिक बल द्वारा दुर्व्यवहार एवं अन्य महत्वपूर्ण मामले।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकार तथा संरक्षण के कार्य- भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के विकास के अवलोकन एवं मुल्यांकन हेतु एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। हिन्दू धर्म के लोग और इसके कमजोर तबके को छोड़कर प्रायः अन्य सारे धर्म को मानने वाले लोग भारत में अल्पसंख्यक के नाम से जाने जाते है। इसका गठन १९९३ में संसद के द्वारा पारित कानून के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का उद्देश्य भारत एवं उसके राज्यों में अल्पसंख्यकों के विकास के क्रम का मूल्यांकन करना, उनके मानवाधिकारों का संरक्षण करना तथा संविधान में तथा संसद एवं राज्य विधान मण्डलों द्वारा बनाये गये कानून में अल्पसंख्यकों के सुरक्षा हेतु प्रावधानों के सन्दर्भ में यह मुल्यांकन अनिवार्य है। इसी के आधार केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हेतु सिफारिश करता है। आयोग अल्पसंख्यकों के अधिकार के उल्लंघन संबंधी शिकायतों को संबंद्धित प्राधिकरण के पास पहुँचाता है।

अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के लिये संविधान प्रदत्त अधिकारों के पुर्नमूल्यांकन हेतु आयोग ने एक रिपोर्ट ३१ मार्च २००२ को प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में आयोग ने मुसलमान, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं से संबंधित समस्याओं का उल्लेख किया था। अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर मुस्लिम वर्गों के लिये आयोग ने अनुच्छेद १५(४) और १६(४) के अन्तर्गत पिछडे मुसलमानों के लिये आरक्षण की मांग का समर्थन किया। आयोग का मुख्य उद्देश्य है कि अल्पसंख्यकों के सम्मानपूर्वक जीवन की रक्षा हो, उन्हें एक सम्माननीय स्थान प्राप्त हो तथा उनकी रक्षा के लिये कानून प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किया जायें।

राष्ट्रीय महिला आयोग और मानवाधिकार

राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संघ के अन्तर्गत महिलाओं के लिये एक वैधानिक निकाय है इसकी स्थापना १९९० में संसद के द्वारा पारित कानून के तहत १९९२ में किया गया।

Available online on: www.anveshaejournal.com e-ISSN 2582-6719
DOI - 10.55183/amjr.2022.vo1.lsi.013

महिला आयोग का संबंद्ध मुख्यतः महिलाओं से संबंधित समस्याओं के लिए आवाज उठाने से है। दहेज प्रथा, नौकरी में महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व, राजनीति, धर्म, घरेलू हिंसा, बलात्कार के मामले, कार्यस्थल तथा शैक्षणिक संस्थान में यौन शोषण तथा श्रम में महिलाओं का शोषण आदि जैसे मामले में होने वाले महिलाओं के साथ अन्याय तथा उनके मानवाधिकारी के हनन के खिलाफ यह आयोग सक्रिय रूप से काम करता है और खुलकर वकालत करता है।

महिला आयोग संविधान तथा अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के सुरक्षार्थ सभी प्रावधानों की जाँच पड़ताल करता है। आयोग महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा व उपायों का कार्यरूप केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करता है इस बात की सिफारिश करता है कि संघ या राज्य महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु सुरक्षात्मक उपायों को कैसे लागू कर सकते हैं?

इसे समय-समय पर संविधान प्रदत्त प्रावधानों तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों का मूल्यांकन करने, इस तरह के विधानों में किसी तरह की कमियों को दूर करने की सिफारिश करने तथा महिला संबंधी संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन को संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने आदि के अधिकार प्राप्त हैं। आयोग निम्न शिकायतों के मामले में स्वतः संज्ञान लेती है। जैसे-महिलाओं के अधिकारों का हनन, महिलाओं की सुरक्षा, विकास और समानता की दिशा में बनाये गये कानून का पालन न होना, तथा महिलाओं के कल्याण और उनके कष्ट के निवारण के लिए बनी नीतियों का पालन न होना तथा इस तरह के मामलों में संबंधित सभी विवादों को उपर्युक्त अधिकारियों के पास प्रस्तुत करना।

आयोग ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिला कामगारों पर वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण तथा उदारीकरण से होने वाले प्रभाव के मुद्दे सुनवाई को अपने अधीन रखा।

मानवाधिकार एवं भारतीय न्यायपालिका

भारतीय संविधान में न्यायपालिका का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को ही है। न्यायपालिका को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधायिका एवं कार्यपालिका के ऐसे कानून एवं नीतियों को अवैध घोषित कर दे जो विधि सम्मत न हो।

हाल के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र काफी बढ़ गया है तथा बहुआयामी संस्था के रूप में काम करते हुए इसकी भूमिका भारतीय नागरिकों के सामान्य एवं राजनीतिक क्षेत्रों के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकार के विस्तार एवं संरक्षण में काफी बढ़ गई है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन शोषण के मुद्दे, ६ से १४ वर्ष के आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का कानूनी निर्णय देश के हर एक बच्चे को उसके शिक्षा के मौलिक अधिकार प्रदान करना, दुर्घटनाग्रस्त लोगों को आपात स्वास्थ्य सेवा देने के फैसले से नागरिकों के स्वास्थ्य के अधिकार की रक्षा पर बल दिया गया। पर्यावरण के मुद्दे पर भी न्यायालय ने प्रदूषण फैलाने वाले को जुर्माना, सावधानूपर्वक नियम पालन तथा अन्य मानवाधिकारों की रक्षा हेतु न्यायिक आदेश पारित किए गए हैं।

न्यायालय के इन सकारात्मक हस्तक्षेप के अलावा ऐसी भी स्थिति आयी है जब न्यायिक हस्तक्षेप के नकारात्मक प्रभाव रहे जैसे न्यायालय के आदेश से दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले बूचड़खाने को बंद करने के कारण बूचड़ों या कसाइयों के जीविकोपार्जन पर विपरीत प्रभाव पड़ा। यह हस्तक्षेप लोक हित की सुविधा की अवहेलना को दर्शाता है। उदाहरणतः प्रदूषक उद्योगों को बंद करने या बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय ने कामगारों तथा उनके परिवारों की समस्याओं को अनसुना कर दिया। न्यायालय द्वारा निकाले गये घोषणात्मक आदेशों को लगातार लागू न करना

Bi annual, Bi lingual, Peer reviewed, Referred Journal
Available online on: www.anveshaejournal.com e-ISSN 2582-6719
DOI - 10.55183/amjr.2022.vo1.lsi.013

कोर्ट की न्यायिक क्षमता को चुनौती देने के समान माना जाता सकता है। यह विवाद का प्रश्न है कि संसाधनों की कमी की समस्याओं को ध्यान में न रखकर शक्ति की अवमानना को अच्छा माना जाये या फिर इन आदेशों को निश्चित रूप से लागू करना ही एकमात्र रास्ता माना जाये।

कुछ दोषों के बावजूद भारतीय न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा तथा उसके अनुपालन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा न्यायपालिका राज्य, नागरिक, सामाजिक संघ के (जैसे एन.जी.ओ. या अन्य सामाजिक संगठन) कार्यकर्ताओं या मानवाधिकार संस्थान को भारतीय नागरिकों के मानवाधिकार की सुरक्षा हेतु योजना बनाने के लिए एक मंच प्रदान करती है।

संदर्भ ग्रन्थसूची

- राष्ट्रपति के द्वारा जारी २८ सितंबर १९९३ को मानव अधिकार संरक्षण संबंधी अध्यादेश।
- १६ सितंबर १९६६ को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि
- न्यायमूति ए.एम. अहमदी का रिपोर्ट १९९४
- टी.के. थामन 'मानव अधिकार आयोग' कोचीन विश्वविद्यालय लॉ रिव्यू, १९९३
- न्यायमूर्ति वी.एस. मलिमथ मानव अधिकार आयोग की भूमिका, १९९४
- मानव अधिकार पर १९९३ में हुए सम्मेलन का प्रतिवेदन